जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम

(कार्यालयः एडीआर सेंटर बी–610 शिवमार्ग बनीपार्क जयपुर)
Tel:- 0141-4453488 Email:- dlsa17jaipurmetro@gmail.com

क्रमांक : 124 दिनांकः 13/3/26

विज्ञापन सूचना

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 7(136)रालसा/संस्था/संविदा सेवा–वाहन/2026/156 दिनांक 10.03.2026 राजस्थान सरकार विधि विभाग की आज्ञा संख्या–प. 8(1) विधि–2/विरस (64)/2015 पार्ट II–17055 दिनांक 04.02.2026 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्राधिकरण के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्वीकृत रिक्त पदों के विरूध दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 तक अथवा नियमित भर्ती होने जो भी पहले हो तक के लिये, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों में दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यालयवार सेवानिवृत्त कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों की सेंवाएँ संविदा सेवा के अन्तर्गत ली जानी हैः–

क.सं.	कार्यालय का नाम	पद का नाम	संविदा सेवा के तहत स्वीकृत पद
1.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	04
4.	स्थाई लोक अदालत जयपुर महानगर प्रथम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02
5.	तालुका विधिक सेवा समिति बस्सी व साँगानेर कार्यालय हेतु एक–एक	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02

शर्तेः– 1. सेवानिवृत कार्मिक की सेवाएँ संविदा आधार पर कार्मिक विभाग के परिपत्र के आधार पर मासिक सामेकित पारिश्रमक राशि देय होगी।
2. कर्मचारी शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है।
3. कर्मचारी की आयु 65 वर्ष से कम होना आवश्यक है।
4. कर्मचारी राजकीय सेवा से सेवानिवृत कर्मचारी होना आवश्यक है।
5. कार्मिक की सेवाएँ सन्तोष जनक नही पाये जाने पर नियमानुसार सेवाएँ समाप्त की जा सकेगीं।

उक्त संबन्ध में कोई भी इच्छुक कर्मचारी जो भी निर्धारित अर्हताऐं रखता हो **दिनांक 19.03.2026 सायं 03:00 बजे** तक अपना प्रस्ताव मय फोटो एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर प्रथम, एडीआर सेंटर बी–610 शिवमार्ग बनीपार्क जयपुर में प्रस्तुत कर सकते है।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर महानगर, प्रथम

क्रमांक : 1230 to 1234 दिनांक : 13/3/26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित/चस्पा हो :–
1. श्रीमान सदस्य सचिव महोदय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर।
2. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम/ द्वितीय/जयपुर जिला
3. तालुका विधिक सेवा समिति सागाँनेर/बस्सी जयपुर महानगर प्रथम
4. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर/जयपुर जिला
5. संबंधित पत्रावली।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर महानगर, प्रथम

कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर प्रथम

राज्य सरकार के सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत कर्मचारी का नाम –
2. पिता का नाम –
3. जन्म तिथि –
4. पता मय मोबाईल नम्बर –

5. आयु –
6. अर्हताएं –
7. मूल विभाग का नाम –

8. सेवानिवृति के पूर्व धारित पद –

9 अनुभव –

10. सेवानिवृति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड, ग्रेड पे) –
11. मूल पेंशन राशि (पीपीओ संलग्न) –
12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृति के समय) –
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्न) –

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अद्योहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत कार्मिकों को लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशो में दिये गये सहमती निर्बधनों और शर्तो के अनुसरण में अपनी सेवानिवृति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अद्योहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तो को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है। और वचन देता है।

स्थान–

दिनांक –

सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष/**कार्यालध्यक्ष का प्रमाण–पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि उपर दिए गए आवेदन प्रारूप में बिन्दु सं. 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गए हैं और **श्री/श्रीमती** **पुत्र/पत्नी**..... जो सेवानिवृत्त से पूर्वपद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किए जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान **श्री/श्रीमती** की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके लिए सिफारिश की जाती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृति के समय **श्री/श्रीमती**रू.मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि **श्री/श्रीमती**के विरूद्व कोई विभागीय जॉच/अपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्व ली जा रही है। उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष/कार्यालध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय सील